उत्तराखण्ड
इलेक्ट्रिक वाहन
विनिर्माणक
ई0वी0 उपयोग संवर्द्धन
और
सम्बंधित सेवा
अवसंरचना नीति–2018

प्रस्तावना

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) प्रौद्योगिकी को विश्व स्तर पर परिवहन क्षेत्र में गेम चेन्जर माना जाता है। यह प्रदूषण रहित, सस्ती ईंधन लागत, कम मेंटिनेंस व्यय, ऊर्जा कुशल तथा सुरक्षित होने के साथ–साथ आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। भारत सरकार 2030 तक भारत को "इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्र" बनाने की योजना बना रही है। ईवी क्षेत्र में हाल ही में हुए तकनीकी–आर्थिक विकास और भारत सरकार के दृष्टिकोण के आधार पर उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करने की आवश्यकता महसूस की है। उत्तराखण्ड सरकार, उत्तराखण्ड को इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाने, उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचे के सृजन और अनुकूल विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए उत्तराखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक, ई0वी0 उपयोग संवर्द्धन और संबंधित सेवा अवसंरचना नीति–2018 नाम से यह नीति ला रही है। इस नीति में ऑटो सेक्टर में मौजूदा बदलाव पर विचार करते हुए, ऑटो सेक्टर को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में से एक के रूप में परिभाषित करते हुए ईवी और ईवी घटक विनिर्माणक / सेवा उद्यम को विशेष दर्जा दिया गया है।

1. परिचय

विश्व बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की मांग में व्यापक रूप से बढ़ोत्तरी हो रही है। ऑटोमोटिव उद्योग, पारंपरिक ईंधन पर आधारित प्रौद्योगिकी से पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी की ओर तेजी से स्थानांतरित हो रहे है। जीवाश्म ईंधन पर उच्च दबाव तथा कमी के कारण, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर परिवहन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए विद्युत गतिशीलता आवश्यक हो गयी है। नवंबर 2016 में हुए पेरिस समझौता, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों को नियंत्रित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सीमित करने के लिए बाध्य करता है। ऑटोमोटिव उद्योग का विद्युतीकरण, परिवहन प्रणाली को डीकार्बोनाइज करने के उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करता है।

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ उद्योग है और यह क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र में विकास का संकेत देते हुए देश के आर्थिक विकास को और आगे ले जा सकता है। यह अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2017 में 250 लाख वाहन उत्पादित किये गये, जो यह प्रदर्शित करता है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 5.41% की वृद्धि हुई है। जिसमें यात्री वाहन, वाणिज्यिक वाहन, थ्री–व्हीलर्स और दोपहिया वाहन शामिल है। चूंकि उद्योग प्रदूषण में बड़े पैमाने पर योगदान देता है, इसलिए सरकार आक्रामक रूप से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना इस प्रयास का मुख्य घटक है।

1.1 बढ़ता हुआ बाज़ार

इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। 2015 और 2016 के बीच वैश्विक इलेक्ट्रिक कार स्टॉक दोगुना होकर 2016 में 2 मिलियन वाहनों से अधिक हो गया। सड़क पर इलेक्ट्रिक वाहनों में तेजी से विस्तार के साथ, निजी और सार्वजनिक चार्जिंग आधारभूत संरचना लगातार बढ़ रही है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और अनुमान है कि वर्ष 2020 तक यह लगभग 80 लाख और 2030 तक लगभग 5 करोड़ हो जायेगी। लिथियम बैटरी की कीमतें तेजी से नीचे जा रही हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते हो रहे है। भारत में 2022 तक इलेक्ट्रिक वाहन संग्रहण के अवसर (In GW) 44% सीएजीआर तक बढ़ने का अनुमान है।,

तालिका 1– भारत में विभिन्न खंडो में इलेक्ट्रिक वाहन का अनुमानित वार्षिक बाजार का आकार

खण्ड / वर्ष	इलेक्ट्रिक वाहन मोटरसाइकिल तथा स्कूटर	इलेक्ट्रिक वाहन ऑटो रिक्शा	इलेक्ट्रिक वाहन कार एवं जीप	योग
2020	73,52,000	6,46,000	26,000	80,24,000
2025	1,40,35,000	23,64,000	15,92,000	1,79,91,000
2030	2,65,14,000	40,72,000	1,59,11,000	4,64,97,000

श्रोतः– नीति आयोग और आर.एम.आई. विश्लेषण, नवंबर 2017

1.2 सरकार की पहल और प्रभाव

हाल ही में फिक्की और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में, यह अनुमान लगाया गया है कि भारत के विद्युत और संयुक्त गतिशीलता में शिफ्ट करने से वर्ष 2030 तक तेल आयात में रू. 20 लाख–करोड़ की बचत और लगभग 1 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने में मदद मिल सकती है। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि भारत में 2027 तक फोर–व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी हो सकती है।

भारत में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (एचईवी) और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में देश में पर्यावरणीय मित्र वाहनों को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना के तहत The Faster

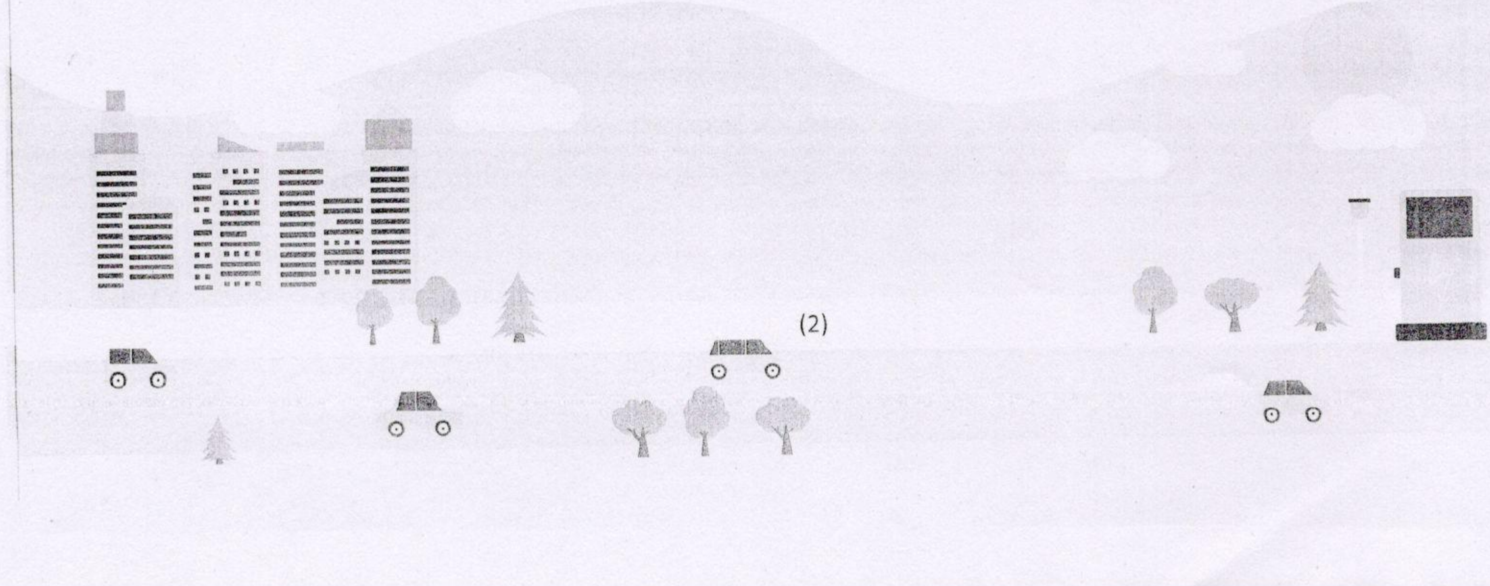

Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicle in India Scheme लागू की गयी। भारत में वर्ष 2020 से आगे 6–7 मिलियन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण के लिए व्यापक अवसर सृजित हो सकें।

वर्ष 2003 के बाद उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप ऑटो सेक्टर में सर्वाधिक निवेश हुआ है। पन्तनगर में टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो व अशोक ली–लैण्ड, महिन्द्रा तथा हरिद्वार में हीरो होण्डा व महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा की ऑटो इकाईयां स्थापित हुई हैं। इसके साथ–साथ इनके 250 से अधिक वेण्डर एवं पूरक इकाईयां, जो एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र में हैं, एक आधुनिक क्लस्टर के रूप में स्थापित हुई हैं।

2. इस नीति के बारे में

उत्तराखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक नीति–2018, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण, ईवी बैटरी विनिर्माण / संयोजन, ईवी उपयोग संवर्द्धन और ईवीएस के लिए चार्जिंग तथा स्वैपिंग के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लायी जा रही है। नीति के अन्तर्गत निवेश प्रोत्साहन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन एवं गैर–राजकोषीय सुविधायें प्रदान कर इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों / ईवी बैटरी विनिर्माण, ईवी उपयोग संवर्द्धन तथा इलेक्ट्रिक वाहन सेवा अवस्थापना सुविधाओं के सृजन को बढ़ावा देना है।

- इस नीति के अन्तर्गत प्रदत्त सभी प्रोत्साहन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (एचईवी) इकाइयों को भी उपलब्ध होंगे (हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, वाहन का एक प्रकार है जो इलेक्ट्रिक इंजन और पारंपरिक इंटरनल कम्बश्चन इंजन दोनों का उपयोग करता है)।
- इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में प्रोत्साहन एवं निवेश के लिए इस नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई फेम इंडिया योजना में प्रदत्त प्रोत्साहनों और कार्यान्वयन अवधि के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के संवर्द्धन एवं अंगीकरण हेतु शुरू की गई किसी अन्य योजना, के अतिरिक्त हैं।
- इस नीति के तहत प्रदत्त प्रोत्साहन उत्तराखंड राज्य की किसी भी नीति में उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त हैं, इसलिए इकाइयां / उद्यम, राज्य की अन्य नीतियों में श्रेणीवार उपलब्ध प्रोत्साहनों, जो इस नीति में आच्छादित नहीं हैं, का दावा कर सकती हैं।
- इलेक्ट्रिक वाहनों या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए घटक निर्माण में शामिल इकाइयां भी इस नीति के तहत सभी प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगी, बशर्ते वे इलेक्ट्रिक वाहनों या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माणक / असेम्बलिंग इकाइयों को अपने घटकों के कुल उत्पादन का न्यूनतम 75% आपूर्ति करें।
- इस नीति के तहत प्रदान किए गए प्रोत्साहन केवल इलेक्ट्रिक वाहन या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन सैक्टर के लिए हैं और निवेशक को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से न्यूनतम 15 वर्ष की अवधि तक किसी अन्य क्षेत्र में भूमि का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी अन्य क्षेत्र में भूमि के उपयोग में परिवर्तन के मामले में, निवेशक इस नीति के तहत प्राप्त प्रोत्साहनों और राज्य के मेगा औद्योगिक और निवेश नीति 2015 और उसके बाद के संशोधन / परिवर्धन के तहत लागू प्रोत्साहनों के बीच के अंतर को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा।

➢ इस नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रत्येक इकाई के लिये यह आवश्यक होगा कि वह अपने कर्मकरों का न्यून्तम 70 प्रतिशत सेवायोजन उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी में से करेगें, ताकि नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों के लिये पात्र हो सके।

3. नीति के उद्देश्य

1. राज्य में हरित पर्यावरण के सृजन हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करना।
2. इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के निर्माण में निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तराखण्ड को पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
3. इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति एवं मांग के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन।
4. आंतरिक दहन (आईसी) इंजन से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवीएस) में परिवर्तन हेतु अनुकल वातावरण का सृजन।
5. ट्रांजीशन पीरियड में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग–इन–इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन।
6. राज्य में विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देने वाले उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति के लिये मानव पूंजी तथा विद्युत क्षमता में वृद्धि।

4. परिभाषाएं

इस नीति के संदर्भ में, ईवी घटक असेंबलिंग / विनिर्माण, हाइब्रिड वाहन असेंबलिंग / विनिर्माण, बैटरी निर्माण / संयोजन, चार्जिंग एवं स्वैपिंग के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण, ईवी चार्जिंग उपकरण तथा ईवी चार्जिंग स्टेशन इकाईयों की परिभाषा निम्नवत् हैः–

➢ **इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी)** : एक इलेक्ट्रिक वाहन या ईवी अपनी रिचार्जेबल बैटरी में संग्रहीत ऊर्जा का उपयोग करता है, जिसे आम घरेलू बिजली द्वारा रिचार्ज किया जाता है। एक विद्युत वाहन (ईवी) प्रणोदन के लिए एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करता है। वाहन के प्रकार के आधार पर, रोटरी मोटर्स द्वारा संचालित पहियों या प्रोपेलर्स द्वारा या गतिशील मोटरों द्वारा ट्रैक किए गए वाहनों के मामले में गति प्रदान की जा सकती है। ईवी में औद्योगिक इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, पूर्ण आकार की इलेक्ट्रिक कार, वैन, बसें और अन्य इलेक्ट्रिक यात्री वाहन शामिल हैं। भारत सरकार की अधिसूचना 16 सितम्बर, 2005 से अधिसूचित केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम संख्या 2(यू) में दी गयी परिभाषा के अनुसार "बैटरी संचालित वाहन" का अर्थ सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित वाहन से है और विशेष रूप से जिसका संकर्षण इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा ऊर्जा विशेष की आपूर्ति से संचालित होता है।

➢ **ईवी घटक** : ईवी के प्रमुख घटकों में मोटर नियंत्रक, विद्युत इंजन (मोटर), पुर्नउत्पादक ब्रेकिंग, ड्राइव सिस्टम और संबंधित घटक / असेंबलीज शामिल हैं।

➢ **ईवी बैटरीः** इलेक्ट्रिक–वाहन बैटरी (ईवीबी) या ट्रैक्शन बैटरी एक बैटरी है जो इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) के प्रणोदन को शक्ति देने के लिए उपयोग की जाती है। वाहन बैटरी आमतौर पर एक द्वितीयक (रिचार्जेबल) बैटरी होती है। इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहन 'एडवांस बैटरी' से तात्पर्य न्यू जनरेशन लेड रहित बैटरी से है, जैसेः लिथियम पॉलिमर, लिथियम आयरन फॉस्फेट,

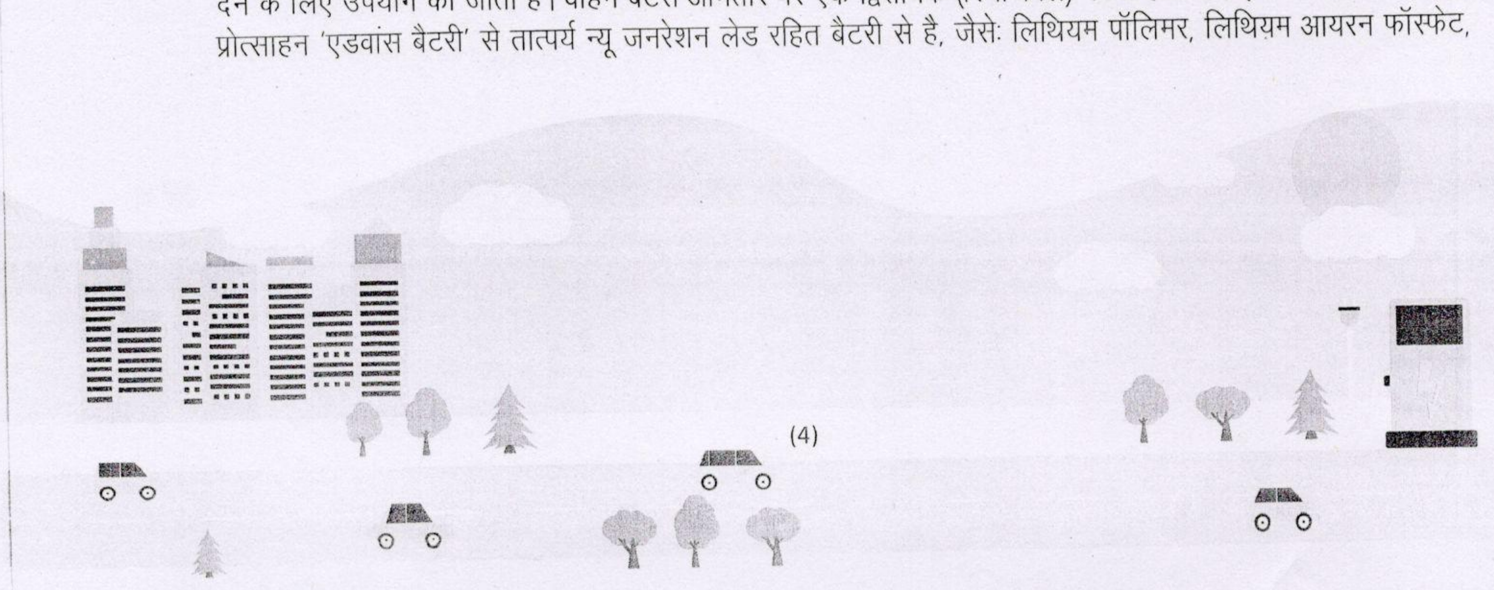

निकल मेटल हाइब्रिड, जिंक एयर, सोडियम एयर, निकेल जिंक, लिथियम एयर इत्यादि।

- इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहन, प्रमुख रासायनिक तत्व के रूप में लैड के साथ ''परंपरागत बैटरी'' के असेंबलिंग / विनिर्माण के लिए, सभी उपलब्ध प्रोत्साहनों का 50 प्रतिशत होगा।

- **इलेक्ट्रिक वाहन और इसके घटक विनिर्माण इकाइयां (ईवीएमयू)** : इलेक्ट्रिक वाहनों उनके घटकों जैसे मोटर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक किट इत्यादि के निर्माण / असेंबलिंग में शामिल सभी विनिर्माण उद्यम इस नीति के तहत प्रोत्साहन और रियायतों के लिए पात्र होंगे।

- **ईवी बैटरी विनिर्माण या असेंबली इकाइयों (ईबीयू)** : सभी ईवी बैटरी विनिर्माण या असेंबलिंग इकाइयां इस नीति के तहत प्रोत्साहन और रियायतों के लिए पात्र होंगी।

- **ईवी बैटरी घटक** : इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए बैटरी पैक डिज़ाइन कई यांत्रिक और विद्युत घटक प्रणालियों के संयोजन को सम्मिलित करते हैं जो पैक के मूल आवश्यक कार्यों को निष्पादित करते हैं। बैटरी पैक में कुल वोल्टेज और विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए कई अलग–अलग सेल श्रेणी व समानांतर क्रम में संयोजित होते है। एक बैटरी में मॉड्यूल नामक छोटे स्टैक्स होते हैं, जिन्हें एक ही पैक में रखा जाता है। मॉड्यूल में शीतलन तंत्र, तापमान मॉनीटर, अन्य डिवाइस और बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) भी शामिल है।

- **ईवी चार्जिंग स्टेशन और उपकरण**: एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, जिसे ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक रिचार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग पॉइंट, चार्ज पॉइंट और ईवीएसई (इलेक्ट्रिक वाहन सप्लाई उपकरण) भी कहा जाता है, एक बुनियादी ढांचे में एक तत्व है जो विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करता है बिजली के वाहनों का रिचार्जिंग। चार्जिंग स्टेशन उपकरण में केवल फास्ट चार्जिंग स्टेशनों से संबंधित चार्जिंग पोस्ट, कैबिनेट चार्जिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन उपकरण आदि के साथ एकीकृत स्वचालित स्वचालित चार्जिंग स्टेशन शामिल होंगे।

- **ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर** : नीति में चार प्रकार की चार्जिंग सुविधाओं की कल्पना की गई है, जैसे:
  - घरेलू उपयोगकर्ता सुविधा (व्यक्तिगत)।
  - सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा (सरकारी सुविधाएं, बस डिपो, रेलवे स्टेशन इत्यादि)।
  - सामान्य चार्जिंग सुविधा (मॉल, आवासीय भवन, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि)।
  - वाणिज्यिक चार्जिंग सुविधा (सड़क के किनारे, ईंधन स्टेशन आदि)।

- **सेवा उद्यम** : उद्यम, गतिशील सेवा प्रदान करने वाली इकाईयां / स्लो चार्जिंग स्टेशन और / या बैटरी स्वैपिंग स्टेशन टू–व्हीलर, थ्री–व्हीलर, कार, बसें और अन्य फोर–व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन। इसमें ईवी और बैटरी की मरम्मत और रखरखाव के स्टेशन भी शामिल होंगे।

- सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बृहद (श्रेणी–1), लार्ज, मैगा तथा अल्ट्रा मैगा उद्यमों की परिभाषा :

  (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम ईवी उद्यमों की परिभाषा तथा पूंजी निवेश का विनिधान, भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप होगा।

  (ख) बृहद ईवी उद्यम, जहां विनिर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में संयंत्र और मशीनरी पर निवेश रू. 10 करोड़ से रू. 50 करोड़ तक हो और सेवा प्रदाता गतिविधियों के सम्बन्ध में उपस्कर (equipment) में निवेश रू. 5 करोड़ से रू. 50 करोड़ तक हो।

  (ग) लार्ज, मैगा तथा अल्ट्रा मैगा उद्यम/परियोजनाओं की परिभाषा तथा पूंजी निवेश का विनिधान मैगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी–2015 (यथासंशोधित–2018) के प्राविधानों के अनुरूप होगी।

  (घ) अचल परिसम्पत्तियां: अचल परिसम्पत्तियों का अर्थ भूमि, भवन, प्लांट व मशीनरी तथा अन्य ऐसे उपकरण जो सीधे उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, जैसे टूल्स, जिक्स, डाईज, मोल्ड्स, यूटिलिटीज एवं अन्य हैण्डलिंग उपकरण।

5. नीति का कार्यान्वयन

- यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी और 5 साल की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।
- यदि किसी भी स्तर पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके लिए नीति मे किसी भी संशोधन या अधिक्रमण की आवश्यकता हो, तो केवल राज्य मंत्रिमंडल ऐसे संशोधन/अधिक्रमण को मंजूरी देने के लिए अधिकृत होगा।
- यह नीति राज्य की मेगा औद्योगिक और निवेश नीति 2015 (यथासंशोधित– 2018), बृहद औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति– 2018 तथा एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 (यथासंशोधित– 2018) की पूरक है।
- इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों का दावा करने वाली पात्र इकाईयां मेगा औद्योगिक और निवेश नीति 2015 के अन्तर्गत प्रोत्साहन का दावा कर सकती हैं, यदि इस नीति में समान/ समरूप शीर्ष के तहत कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है।
- इस नीति के तहत पात्र इकाइयां एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 (यथासंशोधित–2018) तथा बृहद औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति– 2018 में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए अर्हता के आधार पर दावा कर सकती हैं, यदि इस नीति में समान/समरूप शीर्ष के तहत कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है।

6. नीतिगत ढांचा

- इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन

  दहनशील वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तन के लिए, उत्तराखण्ड सरकार हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ांवा देगी और राज्य में एचईवी की मांग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। संक्रमणकाल में, राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन और वस्तुओं के परिवहन में ईवीएस के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। भारत सरकार द्वारा दीर्घ काल के लिये तय किये जा रहे Transition के मानकों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

➢ लोक परिवहन

लोक परिवहन में ईवी को बढ़ावा देने के लिए, चरणों में संसाधनों के आधार पर वर्ष 2030 तक की कार्ययोजना परिवहन विभाग अलग से निर्धारित करेगा।

इस संदर्भ में ईवी लोक परिवहन के लिए देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर और हल्द्वानी तथा इनके मध्य इंटरसिटी रूट्स पर हरित मार्गों को बढ़ावा दिया जाएगा।

➢ निजी परिवहन

राज्य सरकार कम दूरी की गतिशीलता के लिए ईवी टू–व्हीलर और ईवी कारों को अपनाने के लिए बढ़ावा देगी, और इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए कैब्स, स्कूल बसों/वैन, एम्बुलेंस इत्यादि के ट्रांजीशन को भी प्रोत्साहित करेगी। पांच प्रमुख शहरों में– देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर में वर्ष 2025 तक अधिक विद्युत गतिशीलता का प्रयास किया जायेगा।

➢ गुड्स परिवहन

गुड्स परिवहन में ईवी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर में ईवी – थ्री–व्हीलर, फोर–व्हीलर और मिनी गुड्स वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

राज्य सरकार उत्तराखण्ड में ईवी बैटरी और चार्जिंग उपकरण निर्माण को बढ़ावा देगी। उत्तराखण्ड सरकार प्रति शुल्क उच्च लाभ सहित लिथियम बैटरी के निर्माण को भी प्रोत्साहित करेगी।

➢ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर

उत्तराखण्ड सरकार, राज्य में चार्जिंग अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए व्यवहार्य व्यावसायिक उद्यम को प्रोत्साहित करेगी, इसके लिए :–

- सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को राज्य में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सार्वजनिक भवनों और स्थानों में आधारभूत संरचना विकसित की जायेगी और चार्जिंग आउटलेट, नियमित विद्युत आपूर्ति आदि को स्थापित करने के प्राविधान करते हुए इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त, प्रमुख राजमार्गों पर वाहनों की सघनता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर यथासंभव गतिशील चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- राज्य में नए अपार्टमेंट, ऊंची इमारतों, प्रौद्योगिकी पार्कों में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राविधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। फिर भी, राज्य ईवी बैटरी के निपटान के लिए रणनीति विकसित करेगा, और बैटरी डिस्पोजल में लगी हुई कंपनियों को बढ़ावा देगा।

- नीति में हाइड्रोजन संचालित ईंधन कोशिकाओं, या सौर संचालित कोशिकाओं के लिए स्वच्छ ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित चार्जिंग / बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को बढ़ावा दिया जायेगा।

➢ इस संदर्भ में, राज्य सरकार निजी निवेशकों को राज्य में ईवी चार्जिंग सिस्टम और आधारभूत संरचना स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उत्तराखण्ड सरकार विद्युत आपूर्ति स्टेशनों को वाणिज्यिक व्यवहार्य दरों के साथ विशेष डे–टाइम टैरिफ की सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी। इस नीति में अधिसूचना जारी होने के छः मॉह के भीतर ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस संदर्भ में भारत सरकार तथा अन्य राज्यों की नीति का संज्ञान लेकर विशेष पॉवर टैरिफ पॉलिसी लाने पर विचार कर सकता है।

➢ ट्रांजीशन पीरियड के दौरान हाइब्रिड ईवीएस (एचईवी) को प्रोत्साहन

एचईवी आंतरिक दहन इंजन प्रणोदन प्रणाली और विद्युत मोटर प्रणोदन प्रणाली दोनों का संयोजन हैं। एचईवी का उपयोग न केवल पर्यावरण में वायु प्रदूषण को कम करता है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी मदद करता है। इसलिए, उत्तराखण्ड राज्य संक्रमणकाल के दौरान भी एचईवी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।

➢ ईवी विनिर्माण क्षेत्र / पार्क

उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य को ईवी विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक सुविधाओं के साथ गुणवत्तायुक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना की है। इसके लिए, ईवी विनिर्माण क्षेत्र और पार्कों को बढ़ावा दिया जाएगा और यह अपशिष्ट निपटान, सीवेज उपचार, परीक्षण सुविधाओं आदि सहित सामान्य बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होंगे।

➢ स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चूंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य परिवहन प्रणाली को प्रदूषण मुक्त करना है, इसलिए बिजली के पारंपरिक श्रोतों पर ईवी की निर्भरता को कम करना महत्वपूर्ण है। एक सतत अवधारणा को अपनाते हुए उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य इस नीति के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। संक्रमणकाल में, राज्य इलेक्ट्रिक हाईब्रिड कारों के लिए मेंथाल ईधन सेल के उपयोग को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, लिथियम बैटरी के खतरों को दूर करने के लिए, राज्य का उद्देश्य हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल और सौर–संचालित सेल के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड में ऐसी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी इकाइयों (ईबीयू) और सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

➢ अनुसंधान और विकास

चूंकि ईवी प्रौद्योगिकी अभी परिपक्व हो रही हैं, इसलिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी, स्मार्ट डिजाइन और राज्य में ईवीएस में संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए अकादमिक, उद्योग और अन्य हितधाराकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए नीति, बैटरी प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे, प्रमाणन और प्रशिक्षण चार्ज करने का इरादा

रखती है। इसके अलावा, यह नीति ईवी प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र प्रौद्योगिकी को विकसित करने, विशेष रूप से राज्य में ईवीएस में स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी को सहायता प्रदान करेगी।

- स्टार्टप्स और नवोन्मेष

राज्य में ईवी विनिर्माण तथा प्रासंगिक प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान और नवोन्मेष पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत किया जायेगा। उत्तराखंड सरकार इस क्षेत्र में स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित करेगी। अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थानों में ईवी गतिशीलता या अभिनव व्यावसायिक मॉडल की सुविधा प्रदान करने वाले Incubation Centres को प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति के तहत बनाए गए स्टार्ट–अप कोष का भी इस संदर्भ में उपयोग किया जाएगा।

- कौशल विकास

उद्योग की मानवशक्ति की आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए, ईवी कौशल केंद्रों को उद्योग के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। क्षेत्रीय पाठ्यक्रम और कोर्सेज, पेशेवर संस्थानों, पॉलिटेक्निक और अन्य व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में शुरू किये जायेंगे। उद्योगों की जरूरतों के अनुसार विद्युत गतिशीलता, मरम्मत और रखरखाव, बैटरी विनिर्माण और रखरखाव पर अल्पकालिक कोर्सेज भी शुरू किये जायेंगे। ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाली इकाइयों, प्रशिक्षुओं / छात्रों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाया जाएगा। इन गतिविधियों को उत्तराखंड कौशल विकास मिशन एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तत्वावधान में किया जाएगा।

- विद्युत क्षमता को बढ़ाना

इलेक्ट्रिक वाहनों का उच्चतर बाजार में प्रवेश मौजूदा बिजली की आपूर्ति, विशेष रूप से कम वोल्टेज (एलवी) वितरण ग्रिड पर दबाव डालेगा। इसलिए, उत्तराखंड सरकार बढ़ती बिजली मांगों को पूरा करने के लिए राज्य में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए सामरिक रोडमैप तैयार करेगी।

- सतत पारिस्थितिकी तंत्र सपोर्ट

इलेक्ट्रिक वाहनों के सेवा प्रदाताओं को राज्य द्वारा सोलर ग्रिड से परिवर्तनशील टैरिफ रेट्स पर विद्युत आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, उत्तराखंड सरकार स्मार्ट चार्जर्स और बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशनों को प्रोत्साहित करेगी। इसलिए, सेवा प्रदाता को पार्किंग स्पेस पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने, विशेष क्षेत्रों, जहां पर अधिकांश कार्यालय स्थित हैं, में सामान्य पार्किंग स्पेस विकसित करने और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सामान्य चार्जिंग स्पेस की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

7. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणकर्ताओं को प्रोत्साहन

उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित होने वाले उद्यम/इकाई/संयंत्र, जिन्हें इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहन मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स और/या इलेक्ट्रिक बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स के रूप में परिभाषित किया गया है, निम्नलिखित प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगेः

- **ब्याज उपादान** : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण (Term Loan) पर देय ब्याज में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए एम0एस0एम0ई0 यूनिट्स को एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 (यथासंशोधित–2018), रू0 10 से रू0 50 करोड़ के बृहद उद्यमों को बृहद औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 तथा लार्ज, मैगा व अल्ट्रा मैगा उद्यमों को मैगा इण्डस्ट्रियल पॉलिसी–2015 (यथासंशोधित–2018) के प्राविधानों के अनुरूप।

- **इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति** : वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 5 वर्ष तक के लिए विद्युत बिलों में देय इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

- **स्टाम्प शुल्क प्रभार से छूट** : एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 (यथासंशोधित 2018), मैगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2015 (यथासंशोधित 2018) तथा बृहद औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति– 2018 के प्राविधानों के अनुरूप।

- **ईपीएफ प्रतिपूर्ति** : ईवी क्षेत्र में ऐसी सभी नई इकाइयां, जिन्होंने 100 या उससे अधिक कुशल/अकुशल कर्मकरों को सीधे सेवायोजित किया है, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 10 वर्ष के लिए, ईपीएफ अभिदान के 50 प्रतिशत मात्रा की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा रू. 2 करोड़।

- **एसजीएसटी प्रतिपूर्ति** : B2C को विक्रय किये गये तैयार माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के पश्चात उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए, रू0 10 से रू0 50 करोड़ के बृहद उद्यमों एवं एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र के उद्यमों को 30 प्रतिशत और लार्ज, मैगा तथा अल्ट्रा मैगा उद्यमों को मैगा इण्डस्ट्रियल पॉलिसी–2015 (यथासंशोधित–2018) के प्राविधानों के अनुरूप (30 प्रतिशत/50 प्रतिशत)

- **सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की लागत में छूट** : लार्ज, मैगा तथा अल्ट्रा मैगा उद्यमों को मैगा इण्डस्ट्रियल पॉलिसी–2015 तथा रू0 10 से रू0 50 करोड़ के बृहद उद्यमों को बृहद औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 के प्राविधानों के अनुरूप।

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र अभी भी नवजात चरण में है और इसे समर्थन व प्रोत्साहन की आवश्यकता है। राज्य के सभी हिस्सों में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक एकल क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रस्तावित रियायतें राज्य के सभी हिस्सों में समान रूप से लागू होंगी।

8. पर्यावरण संरक्षण प्रोत्साहन

चूंकि इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी विनिर्माण उद्योग प्रकृति को प्रदूषणमुक्त कर रहा है, इसलिए राज्य में पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण को बढ़ाया देने के लिए ई.टी.पी. संयंत्र की स्थापना में किये गये पूंजीगत व्यय पर निम्नवत् प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे :–

- रू0 10 से 50 करोड़ के उद्यमों को बृहद औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 तथा लार्ज, मैगा एवं अल्ट्रा मैगा उद्यमों को मैगा इण्डस्ट्रियल पॉलिसी–2015 के प्राविधानों के अनुरूप।

९. ईवी गतिशीलता प्रोत्साहन

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को प्रेरित करने तथा बाजार के सृजन के लिए, उत्तराखंड सरकार निम्नलिखित प्रोत्साहनों का विस्तार करेगी:–

- क्रेताओं को कर में छूट– उत्तराखंड राज्य के भीतर ईवीएस के पहले एक लाख क्रेताओं को नीति के प्रभावी रहने के दौरान निम्नलिखित छूट प्रदान की जाएगी–
  - पांच वर्ष हेतु मोटरयान कर से शत प्रतिशत छूट।
  - पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष के लिए वाणिज्यिक वाहनों के लिए स्टेज कैरिज परमिट शुल्क पर शत प्रतिशत छूट।
- विभागीय नीतियों के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन (Electrical Vehicle) सेवा उद्यमों को प्रोत्साहन सहायता– इस नीति के अन्तर्गत एम0एस0एम0ई0 तथा रू0 10 से रू0 50 करोड़ की श्रेणी के ई0वी0 बैटरी चार्जिंग / Related Infrastructure उद्यमों को विभागीय नीतियों में Fundable Projects बनाया जायेगा।
- वर्तमान में प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन केवल Electrical Vehicle सेक्टर के उद्योगों को ही प्राप्त होंगे। प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन अन्य उद्योगों के लिये दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।
- वर्तमान में प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन संबंधित निवेशकर्ता को तभी प्राप्त होंगे, जब संबंधित फर्म / कंपनी की मुख्य निर्माण इकाई (Mother Unit) उत्पादन प्रारम्भ करेगी।

10. अन्य प्रोत्साहन

- कौशल विकास– ईवी / एचईवी कॉम्पोनेंट विनिर्माणक तथा बैटरी मरम्मत / रखरखाव आदि की कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाली इकाइयों को, 50 प्रशिक्षार्थियों के लिए 6 मॉह तक प्रतिमाह रू. 1000 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से प्रशिक्षण प्रतिपूर्ति सहायता। ऐसी इकाइयों को उत्तराखंड कौशल विकास मिशन तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत पी0आई0ए0 के रूप में सूचीबद्ध और उत्तराखण्ड स्किल डवलपमेंट से अनुमोदित पाठयक्रमों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को परमिट उदार नीति से जारी किये जायेंगे।

- रूट परमिट– राज्य में विभिन्न शहरों / नगरों के अन्दर नगर बस सेवा के लिए रूट परमिट प्राप्त करने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा इलेक्ट्रिक बसों के लिये ऐसे मार्गों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे इन वाहनों के सफल संचालन की संभाव्यता सुनिश्चित हो सके।
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) से छूट– मोटर वाहन अधिनियम, यदि लागू हो तो इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र से छूट दी जायेगी।

11. ईज ऑफ डुइंग बिजनेस

राज्य की मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2015 की दृष्टि और लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, यह नीति राज्य में व्यवसाय की आसानी सुनिश्चित करती है।

- एकल खिड़की– ईवी विनिर्माण / ईवी बैटरी विनिर्माणक और सेवा प्रदाताओं इकाईयों की स्थापना के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक अनुमोदन राज्य की एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से सीधे दिये जायेंगे।
- श्रमिक अनुज्ञा– उत्तराखंड सरकार ईवी / ईवी बैटरी विनिर्माणक उद्योगों को श्रम सम्बन्धी कानूनों की आवश्यकता के अधीन अनुमति प्रदान करेगी।

The time is right for ELECTRIC CARS - in fact the time is critical.